

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 02.12.2022

अवैध कच्ची शराब 50 लीटर अपमिश्रित व 100 ग्राम नौसादर व 250 ग्राम यूरिया के साथ

एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं गंभीर धाराओं में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अवैध कच्ची शराब के क्रय विक्रय/निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी राजेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 02.12.2022 को एक नफर अभियुक्त को 50 लीटर अवैध कच्ची शराब अपमिश्रित व 100 ग्राम नौसादर व 250 ग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जगरनाथ पटेल उर्फ चिन्टू पुत्र मनोज पटेल निवासी पिपरईया वासी जनपद सिद्धार्थनगर हा0मु0 बिछिया जंगल तुलसी रामकाली मंदिर पीएसी कैम्प थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण-

अवैध कच्ची शराब 50 लीटर अपमिश्रित व 100 ग्राम नौसादर व 250 ग्राम यूरिया

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0- 466/2022 धारा 380,411 भादसं0 थाना कैंट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0स0- 1085/2018 धारा 379,411 भादसं0 थाना कैंट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0स0- 375/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0स0- 1370/2020 थाना 41,411 भादसं0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1- राजेन्द्र सिंह थाना प्रभारी राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2- उ0नि0 कुँवर गौरव सिंह चौकी प्रभारी टीपी नगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2- कांस्टेबल अशोक यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3- कांस्टेबल पवन यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।